भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2043

30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

एसबीएम-यू 2.0 के तहत महाराष्ट्र के लिए वित्तीय सहायता

†2043. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) तथा पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत मालेगांव नगर निगम सहित महाराष्ट्र के नगर निगमों को अनुदान के अंतर्गत निगम-बार कोई वित्तीय सहायता जारी की गई है;

(ख) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र में अपशिष्ट संग्रहण, उनकी दुलाई और निपटान के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा प्रति टन भुगतान संबंधी आकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को मालेगांव नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दिए गए ठेके में अनियमितताओं के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें बढ़ी हुई दरें, वाहनों की खरीद न करना, नगर निगम के वाहनों की मरम्मत लागत का दावा करना, वेटब्रिज के सत्यापन का न होना और श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान न करना शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाई की गई है;

(घ) क्या आउटसोर्स किए गए, केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त अपशिष्ट के ठेकों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धी दरों के लिए दिशा-निर्देश मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का निगम द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केंद्रीय निधि के उपयोग की समीक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) एसबीएम-यू के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का केन्द्रीय हिस्सा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई मांग के आधार पर राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित पूर्ण प्रस्तावों के रूप में जारी किया जाता है, जिन्हें संबंधित

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा यूएलबी को उनकी कार्य योजना के अनुसार प्रेषित किया जाता है।

इसके अलावा, एसबीएम-यू 2.0 के तहत, भारत सरकार ने मालेगांव नगर निगम सहित महाराष्ट्र राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में 3758.50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जिनमें से 3731.09 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से वाली कार्य योजनाएँ अनुमोदित की गई हैं और महाराष्ट्र राज्य द्वारा अब तक 1079.8 करोड़ रुपये का दावा किया गया है।

15वें वित्त आयोग (एफसी) के तहत, 10 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सेवा स्तर के बेंचमार्क को पूरा करने के लिए 5 साल की अवधि में 13,029 करोड़ रुपये का चैलेंज फंड प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, 10 लाख से कम आबादी वाले यूएलबी के लिए 82,859 करोड़ रुपये के कुल अनुदान में से 40 प्रतिशत अनुदान अबद्ध है, जबकि 60 प्रतिशत अनुदान स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राज्य सरकारों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को जारी किए जाते हैं।

इसलिए, नगर निगम-वार वित्तीय सहायता, विशेषकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगर निगमों को जारी की गई वित्तीय सहायता का विवरण इस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ख) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के अंतर्गत, परिचालन दिशानिर्देशों में, जहाँ लागू हो, केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 550 रुपए प्रति मीट्रिक टन **का** मानक लागत अनुमान निर्धारित किया गया है। तथापि, नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की वास्तविक दर संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अधिप्राप्ति और संविदात्मक व्यवस्थाओं के माध्यम से निर्धारित की जाती है।

(ग) संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वच्छता राज्य का विषय है और 74वें संशोधन द्वारा जल और स्वच्छता सेवाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को शक्ति का अंतरण कर दिया गया है।

मालेगांव नगर निगम द्वारा दिए गए ठेके सहित उनके द्वारा प्रदान किए गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ठेकों के संबंध में अनियमितताओं की शिकायतों की जांच सहित योजना बनाना, निष्पादन, निगरानी करना और उचित कार्रवाई करना संबंधित राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी है।

यह मंत्रालय प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के स्तर की संविदाओं में अनियमितताओं से संबंधित विशिष्ट अभ्यावेदनों, जिनमें दरों, वाहनों की खरीद, मरम्मत व्यय संबंधी दावे, वे-ब्रिज सत्यापन अथवा कर्मियों के वेतन के भुगतान से संबंधित अभ्यावेदन भी शामिल हैं, का केंद्रीय रूप से रिकार्ड नहीं रखता है।

(घ) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा मिशन के दिशा-निर्देशों और संबंधित सरकार के लागू वित्तीय और खरीद नियमों के अनुसार परियोजनाओं को कार्यान्वित करना अपेक्षित है। मिशन, मॉडल अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) दस्तावेजों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा शहरी स्थानीय निकायों को निविदा दस्तावेज तैयार करने हेतु संदर्भ उपलब्ध कराकर तथा सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाकर, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी खरीद व्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के अंतर्गत बाह्य स्रोतों के माध्यम से निष्पादित अपशिष्ट प्रबंधन संविदाओं के लिए एकसमान दरें निर्धारित नहीं की गई हैं। ऐसी संविदाओं की दरें संबंधित शहरी स्थानीय निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपनी आवश्यकताओं, निविदा की शर्तों तथा लागू नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं।

(ङ) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता पीएफएमएस-''एसएनए स्पर्श'' के साथ एकीकृत एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) तंत्र के माध्यम से जारी की जाती है जिसके अंतर्गत 'जस्ट-इन-टाइम' आधार पर निधियों का अंतरण किया जाता है तथा उनके उपयोग की वास्तविक समय में निगरानी की जाती है।
चूंकि, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन राज्य के विषय हैं, इसलिए मालेगांव नगर निगम सहित अलग-अलग निगमों द्वारा किए जाने वाले निधियों के उपयोग की दैनिक निगरानी की जिम्मेदारी महाराष्ट्र राज्य सरकार की है।
